उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एंव सुधार अनुभाग-4

संख्या-209/2015/1510/22-4-15-119(ब)/2000टीसी-8(ए)

लखनऊ : दिनांक-10 दिसम्बर, 2015

शुद्धि- पत्र

प्रदेश की कारागारों एवं सम्बन्धित जनपद न्यायालयों में वीडियो कान्फ्रेंसिंग कक्षों के निर्माण हेतु जारी वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-208/2015/1465/22-4-15-119(ब)/2000टीसी-8(ए), दिनांक 08.12.2015 में उल्लिखित शासनादेश संख्या- 167/2015/979/22-4-15-119(ब)/2000टीसी-8(ए), दिनांक 20.08.2015 त्रुटिवश अंकित हो गया है, जिसे न पढ़ा जाय।

(आर0के0 द्विवेदी)

विशेष कार्याधिकारी

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) महानिरीक्षक कारागार, प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।

(2) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।

(3) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।

(4) प्रबंध निदेशक, यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ।

(5) प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ।

(6) जिलाधिकारी, रामपुर, बस्ती, सिद्वार्थनगर, बरेली, बॉदा एवं संतकबीरनगर।

(7) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

(8) निदेशक, वित्तीय सांख्किीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

(9) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।

(10) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2

(11) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0के0 द्विवेदी)

विशेष कार्याधिकारी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in